Quest Journals
Journal of Research in Humanities and Social Science
Volume 9 ~ Issue 7 (2021) pp: 86-88
ISSN(Online):2321-9467
www.questjournals.org

Research Paper

स्वास्थ्य स्थिति एवं सामाजिक सुरक्षा

डॉ जितेंद्र कुमार

एसोसिएट प्रोफेसर

समाजशास्त्र विभाग एस. एम. कॉलेज चंदौसी

व्यक्ति एक तरह से परिस्थितियों की उपज है जिन परिस्थितियों में रहता है वहीं उसके व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं| श्रमिकों को स्वस्थ एवं दूषित वातावरण में कार्य करना पड़ता है तब उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है और शारीरिक शक्ति क्षीण होने लगती है| वह कठोर परिश्रम नहीं कर पाता है शारीरिक एवं मानसिक थकान का अनुभव करने लगता है| परिणाम स्वरुप की कार्य क्षमता प्रभावित होकर घटने लगती है|

रॉयल श्रम आयोग ने इस बात पर जोर दिया है कि औद्योगिक मजदूरों के स्वास्थ्य का महत्व स्वयं उनके लिए ही नहीं अपितु औद्योगिक विकास एवं प्रगति से भी संबंधित है | बीमारी तथा शारीरिक दुर्बलता अनेक परेशानियों का कार ण बन जाती है जैसे अनुपस्थित होना नैतिकता का गिर जाना समय का पाबंद ना होना| परिणाम स्वरुप उत्पादन कम होता है मालिक मजदूरों के संबंध का खराब हो जाना |इसलिए देश में श्रमिकों के लिए चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था करना महत्वपूर्ण कार्य है | जिसकी हमारे देश में का फी कमी है| मालिकों द्वारा दी गई सुविधाएं भी अपर्याप्त है | श्रम अनुसंधान समिति ने कहा है कि चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना मुख्यतः राज्य का उत्तरदायित्व है इसमें मालिकों तथा श्रमिकों को स्वयं भी सहायता करनी चाहिए|

भारत में कानून द्वारा तो मालिकों पर केवल इ स बात का उत्तर दायित्व सौंपा गया है कि वह प्राथमिक चिकित्सा की सुविधाओं की व्यवस्था करें और इसके लिए कारखानों में कुछ सामान रखे | परंतु देखने में यह आता है कि ऐसे सामान की उचित व्यवस्था नहीं होती है | यदि होती भी है तो आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग नहीं किया जाता है| स्वास्थ्य निरीक्षण तथा विकास समिति (बोर्ड समिति) की सिफारिशों के परिणाम स्वरुप देश में चिकित्सा व्यवस्था की उन्नति की ओर कुछ कदम उठाए गए थे| कर्मचारी राज्य बीमा योजना में श्रमिकों के लिए बीमारी में रोजगार से उत्पन्न क्षति में तथा प्रसव के समय चिकित्सा सुविधाएं दी गई है | इन सुविधाओं से ही श्रमिकों के स्वास्थ्य में उन्नति होनी चाहिए | केंद्र सरकार ने औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान संगठन एक केंद्रीय श्रम संस्थान तथा सुरक्षा स्वास्थ्य और कल्याण का एक राष्ट्रीय संग्रहालय मुंबई में स्थापित किए हैं | इनके द्वा रा अनेक संकटग्रस्त उद्योगों में अन्वेषण किया गया है | औद्योगिक कर्मचारियों को कल्याण स्वास्थ्य तथा सुरक्षा कार्यों की शिक्षा देने के लिए 1965 में तीन क्षेत्रीय श्रम संस्थाएं खोली गई है | जिनमें से एक कानपुर में एक कोलकाता में तथा एक मद्रास में है | प्रत्येक संस्था में एक महत्वपूर्ण अनुभाग है औद्योगिक सुरक्षा स्वास्थ्य तथा कल्याण केंद्र| कुछ राज्यों में कारखानों के चिकित्सा निरीक्षकों की भी नियुक्तियां की गई है|

श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक अन्य आवश्यक व्यवस्था दुर्घटनाओं की रोकथाम की गई है | ऐसी दुर्घटनाएं जोकि श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत आती हैं , आधुनिक औद्योगिक जीवन की सामान्य बातें हो गई हैं | h w हेंड्रिक्स नामक एक औद्योगिक मनोवैज्ञानिक का अनुमान है कि 98% औद्योगिक

*Corresponding Author: डॉ जितेंद्र कुमार

दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है | 28% दुर्घटनाएं दोषपूर्ण निरीक्षण श्रमिकों की अयोग्य ता ही अनुशासन एकाग्रता की कमी सुरक्षा संबंधी बातों की अवहेलना करने की आदतों व कार्य के लिए मानसिक व शारीरिक योग्यता के कारण होती हैं| दुर्घटनाएं भी होती हैं कुछ मनुष्यों की मनोवृत्ति ऐसी हो जाती है कि वह दुर्घटनाएं कर ही बैठते हैं चाहे वह उनसे कितना ही बचना चाहे|

भारत में उद्योगों में अधिक दुर्घटनाएं होती है वस्त्र यातायात का सामान मूल धातु पेट्रोल कोयला मशीन आदि के उद्योग है | किसी भी कारखाने को उस समय तक चलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि कारखाने के स्थान आदि की पूर्व स्वीकृति सरकार द्वारा प्रा प्त नहीं कर ली जाती है | 1948 के कारखाना अधिनियम में यद्यपि श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था है तथापि सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें उचित प्रकार से लागू किया जाए तथा उनका उचित प्रकार से निरीक्षण भी हो| अधिनियम का क्षेत्र नियंत्रित कारखानों और छोटे-छोटे संस्थानों की विस्तृत होना चाहिए| औद्योगिक सुरक्षा के संबंध में केंद्रीय तथा प्रादेशिक सन संस्थानों द्वारा अनेक सर्वेक्षण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू किए गए हैं|

सामाजिक सुरक्षा एक परिवर्तनशील विचार है जो संसार की सभी देशों में निर्धनता बेरोजगारी तथा बीमारी को जड़ से दूर करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का एक आवश्यक अंग माना जाता है | सामाजिक सुरक्षा का तात्पर्य सुरक्षा से है जिसे समाज अपने सदस्यों को संकट से बचाने के लिए समुचित रुप से प्रदान करता है| यह संकट ऐसी विपत्तियां हैं जिनमें निर्धन व्यक्ति अपनी सुरक्षा अपने साथियों के सहयोग अथवा अपनी दूरदर्शिता से भी नहीं कर पाता है | इन पत्तियों के कारण श्रमिकों की कार्य क्षमता को क्षति पहुंचती है जिससे वह अपना तथा अपने आश्रित का पोषण नहीं कर पाता है | राज्य की स्थापना का उद्देश्य जनसा धारण की भलाई करना है इसलिए सामाजिक सुरक्षा पर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है| सामाजिक सुरक्षा सेवाओं के अंतर्गत केवल ऐसी योजनाएं आती है जैसे बीमारी की रोकथाम तथा उसका इलाज रोजी कमाने योग्य ना होने की अवस्था में श्रमिक को सहायता देना उसकी आजीविका उपार्जन के यो ग्य बनाना आदि| परंतु यह भी कहा जा सकता है कि ऐसे तमाम साधनों से सुरक्षा नहीं मिल सकती है क्योंकि सुरक्षा का तात्पर्य किसी प्रत्येक वस्तु से नहीं होता वरन यह एक मानसिक अनुभूति है | सुरक्षा से तभी लाभ या अनुभव हो सकता है जब सुरक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति का इस बात में विश्वास है कि उसकी संपूर्ण सुविधाएं जब उसे आवश्यकता होगी प्राप्त हो जाएगी| यह भी आवश्यक है कि सुरक्षा प्रदान करते समय यह देख लेना चाहिए कि सहायता और सुविधाओं की मात्रा और गुण पर्याप्त है|

श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 हमारे देश में सामाजिक सुरक्षा की दशा में एक महत्वपूर्ण कदम है| इस अधिनियम के अधीन श्रमिकों को श्रमिक क्षतिपूर्ति की व्यवस्था किसी रोजगार चोट या व्यावसायिक रोग के कारण श्रमिक की मृत्यु असमर्थता होने की आकस्मिकता की पूर्ति के लिए की गई है |तथा इस काव्य केवल सेवायोजक को करना पड़ता है| इस कानून में काम करते समय लगने वाली चोटिया पैदा होने वाली बीमारियों की क्षतिपूर्ति के लिए 1923 से श्रमजीवी क्षतिपूर्ति अधिनियम व्यवस्था है | स्थाई और विकलांगता स्थाई और आंशिक विकलांगता के लिए क्षतिपूर्ति की अलग -अलग दरें निश्चित की गई है |मृत्यु हो जाने प र मृतकों के आश्रितों को छतिपूर्ति दी जाती है|जिसकी राशि विभिन्न मजदूरी समूहों में ₹1000 से लेकर ₹10000 तक होती है| सदर के लिए अयोग्य हो जाने पर ₹400 से ₹14 तक का मुआवजा एकमुश्त देना पड़ता है | अस्थाई योग्यता के लिए निर्धारित दरों पर अर्ध मासिक भुगतान दिए जा ते हैं | अब इस अधिनियम के अनुसार वह श्रमिक लाभान्वित होते हैं जिनकी मासिक आय ₹1000 तक है, पहले यह सीमा ₹500 तक थी| सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह 3 माह की सूचना देकर इस अधिनियम को उन कारखानों पर लागू कर सकती है जहां उनकी राय में खतरनाक किया जोखिम भरा कार्य होता है|

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 जम्मू कश्मीर को छोड़कर सारे देश में लागू है जिसमें 20 या अधिक कार्य करते हैं और जहां शक्ति का प्रयोग होता है क्षेत्र में आते हैं | क्षेत्र से बाहर है उपयुक्त सरकारों को यह अधिकार है कि इससे किसी अन्य कारखाने , उद्योग व्यापार आदि में आंशिक या पूर्ण रुप से लागू कर

*Corresponding Author: डॉ जितेंद्र कुमार

सकते हैं| सुरक्षा सैनिकों को 5500 प्रतिमाह कमाने वालों पर यह नियम लागू नहीं होता है | उपयुक्त सरकार के लिए इसे विस्तारित करने में पूर्व 6 माह पहले सूचना देना आवश्यक है| इस अधिनियम की मुख्य विशेषता यह है कि यह योजना श्रमिकों की बीमारी प्रति असमर्थता तथा मृत्यु से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए प्रदान की जाती है| इस योजना के अंतर्गत पांच लाभ प्रदान किए जाते हैं जिनमें चार लाभ बीमारी काल में लाभ, मातृत्व लाभ, असमर्थता लाभ तथा औसत लाभ नगदी में प्रदान कि ए जाते हैं| और पांचवां लाभ चिकित्सा लाभ 11 रूप से प्रदान किया जाता है | इस अधिनियम का प्रशासन एक स्वतंत्र संगठन , कर्मचारी बीमा निगम को सौंप दिया जाता है| इस संस्था की वित्त व्यवस्था कर्मचारी राज्य बीमा कोष द्वारा की जाती है|कर्मचारी राज्य बीमा निगम में केंद्रीय एवं राज्य सरकारों, सेवायोजन एवं कर्मचारियों के संगठनों, डॉक्टरी पेशा तथा संसद सदस्यों, स्थानीय संस्थाओं या किसी भी व्यक्ति या किसी भी संस्था के अनुदान , दान व उपहार शामिल होते हैं| इस योजना के अंतर्गत 31 मार्च 1987 को 4.88 लाख बीमा अंकित व्यक्ति लाभांवित हुए हैं| राष्ट्रीय आयोग ने 1969 में सबकी स्थानों पर पूरी तरह समान तथा बड़े कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल है वह पूरी तरह विकसित मेडिकल कॉलेज खोलने चाहिए , यह योजना 24 फरवरी 1952 से लागू हुई यदि कोई बीमित व्यक्ति को कोई कष्ट होता है तो उसके कष्ट निवारण में सहायता करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा योजना ही उसका मात्र सहारा है|

मातृत्व लाभ अधिनियम मातृत्व संरक्षण से संबंधित तीन केंद्रीय अधिनियम की असमानताओं को कम करने के लिए भारत सरकार ने 1961 में मातृत्व हित अधिनियम पारित किया| केंद्र सरकार ने सन 1941 में महिला श्रमिकों के लिए मातृत्व हितलाभ अधिनियम बनाया | उसके पश्चात 1961 में केंद्रीय सरकार द्वारा पारित मातृत्व अधिनियम खान , कारखानों और बागानों तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को छोड़कर इसी प्रकार के अन्य सरकारी संस्थानों पर लागू होता है | इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी वेतन सीमा निर्धारित नहीं है | यह सहायता महिला श्रमिकों को 6 सप्ताह पूर्व प्रसव से पूर्व और 6 सप्ताह प्रसव के बाद दी जाती है| इस अधिनियम के अंतर्गत महिला श्रमिक सहायता पाने की अधिकारिणी है| जिसने संस्थान में 108 दिन से अधिक कार्य किया है और यह लाभ तीन संतानों तक ही सीमित होता है| केवल महिला श्रमिकों पर ही लागू होता है | लाभ के लिए नियुक्त महिला श्रमिकों की दैनिक मजदूरी की दर के हिसाब से भुगतान करने के लिए उत्तरदाई होता है | कर्मचारी प्रोविडेंट फंड अधिनियम 1952 कर्मचारियों को अवकाश प्राप्त कई प्रकार से लाभ प्राप्त होता है| यह अधिनियम 4 मार्च 1952 से लागू हुआ तथा जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर शेष भारत में लागू है | यह उनका अर्थ एवं औद्योगिक संस्थानों पर लागू नहीं होता है जिसकी स्थापना सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत हुई है

संदर्भ

1. डॉ आरती सक्सेना लेबर प्रॉब्लम एंड सोशल वेलफेयर
2. Dutta P. Maternal Anemia: A Village Level Empirical Observation in Assam. Issues on Health and Healthcare in India: Springer; 2018. p. 97-108.
3. Mishra AK, Kar A. Are Targeted Unconditional Cash Transfers Effective? Evidence from a Poor Region in India. Social Indicators Research. 2017;130(2):819-43.
4. Bhagat RB. Migration and Urban Transition in India: Implications for Development. 2017.
5. Thakur SS, Jain S. Retirement planning and social security concept in Indian context. Retirement planning. 2017;3(2).

*Corresponding Author: डॉ जितेंद्र कुमार